Data of Beneficiaries under MAPUY

73 Sh. VARUN CHAUDHRY (Mullana):

Will the Chief Minister be pleased to State:-

- a) the reasons for not collecting the data of beneficiaries of Mukhya Mantri Antyodaya Pariwar Utthan Yojana whose income has doubled;
- b) the number of beneficiaries who were not able to pay their monthly installments; and
- c) the amount of interest subvention (in percentage) under various loans in case the data is collected now togetherwith the details thereof?

Sh. Manohar Lal Chief Minister

Sir, the reply is as under:-

- a. Mukhyamantri Antyodaya Parivar Utthan Yojana is an initiative by government of Haryana under which poorest families are identified and offered a set of various welfare schemes in the field of skill development, wage employment, self-employment etc. with a primary focus on improving their economic condition and helping them to reach at least Rs. 1.80 lakh family income per annum. The Mission is not currently maintaining/collecting the number of beneficiaries whose income has doubled.
- b. An attempt is being made to collect the information from the loan sanctioning and disbursing Banks and on collection of the information, the same will be laid before the table of the House.
- c. Information is being collected from the government agencies providing the interest subventions, the same will be laid before the table of the House.

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का डाटा

73 श्री वरुण चौधरी (मुलाना):

क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:-

- क) मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लाभार्थियों का डाटा एकत्रित न करने के कारण क्या हैं जिनकी आय दोगुनी हो गई है;
- ख) उन लाभार्थियों की संख्या कितनी है जो अपनी मासिक किस्तों को भरने में असमर्थ है; तथा
- ग) यदि डाटा अभी एकत्र किया गया है तो उस मामले में विभिन्न ऋणों के अंतर्गत ब्याज छूट की राशि (प्रतिशत में) कितनी है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

श्री मनोहर लाल	मुख्यमंत्री

श्रीमान जी, उत्तर इस प्रकार से है:-

- क) मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना एक पहल है जो हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसके तहत सबसे गरीब परिवारों की पहचान की जाती है और उन्हें कौशल विकास, वेतन रोजगार और स्वरोजगार इत्यादि के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने और उनकी पारिवारिक आय को कम से कम 1.80 लाख प्रति वर्ष तक पहुँचाना है। मिशन वर्तमान में उन लाभार्थियों की संख्या का रखरखाव/संग्रह नहीं कर रहा है जिनकी आय दोगुनी हो गई है।
- ख) ऋण मंजूरी और वितरण करने वाले बैंकों से जानकारी एकत्र करने का प्रयास किया जा रहा हैं, और इस जानकारी का संग्रहण होने पर, इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा।
- ग) ब्याज सहायता प्रदान करने वाली सरकारी एजेंसियों से जानकारी एकत्र की जा रही है, इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा।